न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या: 24/2024 G.C.M.S. No. 2024/339 दर्ज दिनांक: 11.06.2024

अपीलार्थिगण:

1. तेजाराम पुत्र वेलारामजी
2. मनोज कुमार पुत्र वेलारामजी
3. छगनलाल पुत्र वेलारामजी जाति माली निवासी भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. जवाहरमल उर्फ जवारमल उर्फ जवाराराम पुत्र कनीराम
2. उम्मेदराज पुत्र बगदारामजी
3. खीमराज पुत्र बगदारामजी
4. गुलाबचन्द पुत्र बगदारामजी
5. भंवरलाल पुत्र बगदारामजी
6. सुरेशकुमार पुत्र बगदारामजी
7. तगीदेवी पत्नी वेलारामजी
8. पांचूदेवी पुत्री वेलारामजी
9. भगवती पुत्री वेलारामजी
10. रंगुदेवी पुत्री वेलारामजी
11. वादीदेवी पुत्री वेलारामजी, जातियान माली, निवासीगण भीनमाल, तहसील भीनमाल, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री अदालत सहायक कलक्टर भीनमाल बराजस्व वाद संख्या 27/2022 वादी जवाहरमल बनाम प्रतिवादीगण उम्मेदराज वगैरह दावा बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 20.03.2024 सपठित धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री सिकंदर अली सैयद, विद्वान अभिभाषक अपीलांटगण।
2. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बराडा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्टगण।

निर्णय

दिनांक: 28.10.2024

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2022 बउनवान जवाहरमल बनाम उम्मेदराज में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2024 के विरूद्ध पेश की गई। अपील में संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 11 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा भीनमाल सी, के खाता संख्या 891 के खसरा नम्बर 3525, रकबा 1.95 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 3526 रकबा 1.71 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 3527 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 3528 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 3529 रकबा 1.44 हैक्टेयर किस्म चाही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 3531 रकबा 1.72 किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 3535/7162 रकबा 0.82 हैक्टेयर कुल खसरा 7, कुल रकबा 7.67 हैक्टेयर, व खाता संख्या 892 के खसरा नम्बर 3587 रकबा 0.84 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 3607 रकबा 4.33 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 3615 रकबा 0.16 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 3651 रकबा 0.93 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 4015 रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 4016 रकबा 1.51 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 6586 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 6589 रकबा 1.39 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, कुल खसरा 8 कुल रकबा 9.55 हैक्टेयर भूमि में (वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1) का 1/3 हिस्सा, (प्रतिवादी संख्या 1 से 5 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6) का 1/3 हिस्सा तथा (प्रतिवादी संख्या 6 से 13 अपीलान्ट संख्या 1 से 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 11) का 1/3 हिस्सा मौके पर कब्जा कास्त के अनुसार रास्ता छोड़ते हुए बाई मीटस् एण्ड बाउण्डस् का बंटवाडा करने व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के संबंध में पेश किया गया था। अपीलान्टस ने अपने जबावदावे में मौके पर उक्त भूमि 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त होने तथा अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स सं. 7 से 11 द्वारा अपने हिस्से के कब्जा काश्त में ट्यूबवेल खुदवाकर खसरा नं. 3526 की भूमि को ऊपजाउ बनाने के कारण तथा खसरा नं. 3587 में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अपीलान्ट्स का मौके पर कब्जा काश्त होने के तथ्य वर्णित किये गये थें। तथा इस संबंध में अदालत मातहत ने तनकी भी बनवाई थी। लेकिन अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स (प्रतिवादीगण) को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर तथा प्रत्येक तनकी का विस्तृत विश्लेषण किये बिना निर्णय व प्राथमिक डिकी पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिकी में लिखा है कि दावे से संबंधित भूमि का माफिक राजस्व रेकर्ड के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के रास्ते को मध्य नजर रखते हुये विभाजन का प्रस्ताव तहसीलदार भीनमाल से मंगवाने का निर्णय व डिकी जारी की है, जो कानूनी भूल है। बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा करते समय मौके पर प्रत्येक खातेदार का कहां से कहां तक कब्जा काश्त है तथा प्रत्येक खातेदार के बंट में आई भूमि पर जाने का रास्ता उपलब्ध करवाते हुये सभी पक्षकारों को नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करके सभी पक्षकारों को हस्ताक्षर बंटवाडा प्रस्ताव पर करवाने चाहिये। फिर भी तहसीलदार द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव में बताया है इस भूमि के बीच का हिस्सा अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्टस सं. 7 से 11 के बंट में देना बताया है। जबकि अपीलान्टस के बंट के हिस्से में रखी हुई भूमि हेतु कोई रास्ता प्रस्ताव में अंकित नहीं किया है। इसी तरह से खसरा नम्बर 3589 के भी बंटवाडा प्रस्ताव में तीन भाग करते हुये बीच का भाग अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स सं. 7 से 11 के हिस्से में रखना बताया है, लेकिन उस हिस्से में आने जाने हेतु रास्ता देना बंटवाडा प्रस्ताव में अंकित नहीं है। इसी तरह से खसरा नम्बर 3535/7162 में से खसरा नम्बर 3585 के लगती भूमि अपीलान्ट्स के परिवार के हिस्से में रखना बंटवाडा प्रस्ताव में बताया है, लेकिन उस हिस्से में भी अन्य हिस्सों से आने जाने के रास्ते को नहीं दर्शाया गया है। जबकि खसरा नम्बर 3579 के आगे अपीलान्ट्स के हिस्से में जाने का कोई रास्ता नहीं दिया गया है। इसी तरह से खसरा नम्बर 4015 व 4016 में से खसरा नम्बर 4017 के लगता भाग अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स सं. 7 से 11 के हिस्से में बंटवाडा प्रस्ताव में बताया है। जबकि अपीलान्टस के हिस्से की भूमि में आने जाने व वाहन लाने व ले जाने हेतु रास्ता नहीं छोडा गया है। ऐसी स्थिति में बंटवाडा का निर्णय व प्राथमिक डिकी जारी करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से की गई हैं। जिसमें नियमों में विहित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रक्रिया की पूर्णतः दुरूपयोग किया गया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें एवं प्रकरण पुनः विधिवत निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें। साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया तथा प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में निर्णय व डिक्री जारी की गई हैं। अपीलांट्स को दिनांक 06.06.2024 को निर्णय व डिक्री की जानकारी भीनमाल कचहरी में जाकर अपने वकील से संपर्क करने पर हुई। तत्पश्चात नकल लेकर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें, वहीं विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय दिनांक को अपास्त किया जाकर पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 को कोई आपत्ति नहीं होगी।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.03.2024 को उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 20.03.2024 के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण की साक्ष्य कलमबद्ध नहीं की गई हैं। साथ ही प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से यह भी स्पष्ट नहीं हैं कि वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारान में से केवल वादी का ही खाता विभाजन किया जाना है या प्रतिवादीगण में से किन्हीं या सभी का किसी का भी नहीं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री व निर्णय अस्पष्ट निर्णय की श्रेणी में आता है तथा ऐसी डिक्री की मौके पर पालना किया जाना संभव नहीं होता है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2022 वादी जवाहरमल बनाम प्रतिवादीगण उम्मेदराज वगैरह दावा बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.03.2024 अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए पुनः विधिनुरूप निर्णय व डिक्री पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली